


12/7/18

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित।
वकील वादी ने दावा आगे चलाना नहीं चाहने
का कथन किया व ~~ह~~ पत्रावली Not Press
की गयी। अतः पत्रावली Not Press में त्वारिज
की जाती है पत्रावली फौजदारी शुक्रा होकर
बाद तरीक तद्वलील दाविल दफ्त हो।

Mote Ram
Sen



(Signature)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बीकानेर